POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 23.01.2025

1.वादी को व्हाट्सएप ग्रुप में जोडकर संदेश भेज कर इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर वादी से 26,11,727 रुपए की धोखाधड़ी/ ठगी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 23/01/2025 को थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते व्हाट्सएप ग्रुप में जोडकर संदेश भेज कर इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर 26,11,727 रुपए की धोखाधड़ी/ ठगी करने वाले 04 साइबर अपराधी 1- कुलदीप गिरी पुत्र स्व0 सर्वेश गिरी 2- शादाब हुसैन पुत्र साबिर 03-साहिल पुत्र मोमीन 4- खुशी मौहम्मद पुत्र कमरूद्दीन को जलवायु विहार स्टेडियम रोड नोएडा से **गिरफ्तार** किया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी द्वारा दिनांक 13-01-2025 को थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में मु0अ0सं0-02/2025 धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनस व 66 डी आइटी एक्ट दर्ज कराया गया, जिसमें वादी द्वारा बताया गया की अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में जोडकर संदेश भेज कर इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर वादी से 26,11,727 रुपए की धोखाधड़ी/ ठगी की गयी। जिसके संबंध में थाना साइबर क्राइम में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्त- 1- कुलदीप गिरी पुत्र स्व0 सर्वेश गिरी नि0 म0न0 बी-43 गली नं0-07 जय भारत एनक्लेव नियर श्याम पार्क मैटो स्टेशन थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद 02- शादाब हुसैन पुत्र साबिर नि0 म0न0 147 केला गांव कैलाश नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद हाल तैनात अस्टेंट मैनेजर सेल्स एक्सिस बैंक राजनगर एक्सटेंसन गाजियाबाद 03-साहिल पुत्र मोमीन नि0 म0न0 465 रजापुर कन्या पाठशाला के सामने वाली गली शास्त्री नगर थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद 04- खुशी मौहम्मद पुत्र कमरूद्दीन नि0 हाल पता म0न0 238 सोपडा रोड प्रेम नगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद व स्थायी निवासी-कस्बा व थाना इस्लामनगर जनपद बदायू को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त कुलदीप गिरी ने पूछताछ में बताया कि उसके द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर इंवेसमेंट के नाम पर एपीके फ़ाइल भेज कर वादी के मोबाइल का एक्सिस लेकर वादी के साथ धोखाधड़ी कर लेना बताया गया। अभियोग में वादी के 06,34,831 रुपये विभिन्न बैंक खातों मे फ्रीज कराये गए है जिनकी वापसी की कार्यवाही प्रचलित हैं।

उपरोक्त अभियुक्त के बैंक खातों से सम्बन्धित एनसीआरपी पोर्टल पर कुल 14 शिकायते (तमिलाडू-2, उत्तर प्रदेश-1, पश्चिम बंगाल-5, दिल्ली-2, गोवा-1, जंबू कश्मीर-1, कर्नाटक-1, तैलंनगाना-1,) का होना पाया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. कुलदीप गिरी पुत्र स्व0 सर्वेश गिरी नि0 म0न0 बी-43 गली नं0-07 जय भारत एनक्लेव नियर श्याम पार्क मैटो स्टेशन थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद
2. शादाब हुसैन पुत्र साबिर नि0 म0न0 147 केला गांव कैलाश नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद हाल तैनात अस्टेंट मैनेजर सेल्स एक्सिस बैंक राजनगर एक्सटेंसन गाजियाबाद
3. साहिल पुत्र मोमीन नि0 म0न0 465 रजापुर कन्या पाठशाला के सामने वाली गली शास्त्री नगर थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद
4. खुशी मौहम्मद पुत्र कमरूद्दीन नि0 हाल पता म0न0 238 सोपडा रोड प्रेम नगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद व स्थायी निवासी-कस्बा व थाना इस्लामनगर जनपद बदायू

बरामदगी का विवरण--

1. 07 मोबाईल फोन,
2. सिम कार्ड- 03
3. एटीएम कार्ड-05
4. चेक बुक-01 (20 प्रति चेक),
5. पैन कार्ड छांयाप्रति-05 अदद(अभियोग में प्रयुक्त खातों की)

नोट-- साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु:-

1. इन्वेस्टमेट करने से पहले वेव साइट एवं एप की प्रामाणिकता की जाँच अवश्य करें।
2. यदि संभव हो तो सदैव भारत सरकार के द्वारा अधिकृत तथा सेबी द्वारा निगरानी की जाने वाली शेयर मार्केट में ही निवेश करें।
3. यू ट्यूब, गूगल ,फेसबुक,व्हाट्सअप लाइक कर धन कमाने या टास्क पूरा करने के नाम पर धन कमाने का आफ़र देने वाली फर्जी काल से बचें। धोखेबाज के बहकावे में आकर पैसा ट्रांसफर न करें।
4. साइबर से संबंधित किसी समस्या के लिए साइबर क्राइम हेल्प लाइन नंबर 1930,अथवा साइबर क्राइम की वेव साइटwww.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें

2.थाना सेक्टर 63, नोएडा पुलिस द्वारा कम्पनी में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेेही से कम्पनी से चोरी किया गया 2.5 कुंतल सोल्डर वायर रोल (कीमत करीब 5,00,000) तथा घटना में प्रयुक्त थ्री व्हीलर बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 18.01.2025 को वादी द्वारा थाना सैक्टर 63, नोएडा पर कम्पनी के शटर का ताला तोड़कर सोल्डर स्टिक एवं वायर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सेक्टर 63, नोएडा पर मु0अ0सं0 29/2025 धारा 305/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारिगणों के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया था, गठित टीम द्वारा कम्पनी एवं आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरो को चैक किया गया जिसमें ऑटो नं0 एचआर 55 एएस 8597 घटना के समय कम्पनी के गेट पर दिखायी दिया। पुलिस टीम द्वारा उक्त ऑटो नंम्बर को ट्रेस किया गया तो उक्त ऑटो चालक की पहचान सुरजीत पुत्र सतीश पहलोरा थाना काठ जिला शाहजहाँपुर के रूप में हुई।
दिनांक 23.01.2025 को इलैक्ट्रानिक सर्विलांस एवं लोकल इंटेलीजेंस के आधार पर उक्त ऑटो चालक सुरजीत पुत्र सतीश को बन्द पड़े पैट्रोल पम्प के पास ग्रीन बैल्ट के सामने से ऑटो नं0 एचआर 55 एएस 8597 सहित **गिरफ्तार** किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही से चोरी किया गया 2.5 कुंतल सोल्डर वायर रोल (कीमत करीब 5,00,000 रूपये) बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. सुरजीत पुत्र सतीश निवासी पहलोरा थाना काठ जिला शाहजहाँपुर हालपता खाडसा थाना सैक्टर 37 गुरूग्राम हरियाणा (उम्र 27 वर्ष)

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 29/2025 धारा 305/331(4) /317(2) बीएनएस थाना सैक्टर 63, नोएडा

बरामदगी का विवरण--

1. 2.5 कुंतल सोल्डर वायर रोल (कीमत करीब 5,00,000)
2. घटना के प्रयुक्त थ्री व्हीलर नं0 एचआर 55 एएस 8597

3.थाना बीटा-2 पुलिस व एएनटीएफ टीम मेरठ की संयुक्त कार्यवाही में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये 01 महिला अभियुक्ता व 02 अभियुक्त कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 किलो 500 ग्राम अवैध चरस(अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 55 लाख रूपये), 03 एन्ड्राइड मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनियों के, एक आधार कार्ड व एक नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र व 2000 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण--थाना बीटा-2 पुलिस व एएनटीएफ टीम मेरठ की संयुक्त कार्यवाही में **दिनांक 23.01.2025** को अभियुक्तगण 1.भाकसु कामी उर्फ बागसुर कामी पुत्र सम्पति कामी 2. धीरज सिंह सामन्त पुत्र गुमान सिंह सामन्त 3.अभियुक्ता तुलसी देवी पत्नी दान सिंह को जीरो पोइन्ट यमुना एक्सप्रेस-वे थाना क्षेत्र बीटा-2 से 05 किलो 500 ग्राम अवैध चरस , 03 एन्ड्राइड मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनियों के, एक आधार कार्ड व एक नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र व 2000 रुपये नकद के साथ **गिरफ्तार** किया गया है । बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 55 लाख रूपये है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तों का चरस तस्करी का एक सक्रिय गिरोह है, अभियुक्त भाकसु कामी उर्फ बागसुर कामी जो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है इस गैंग का गैंगलीडर है व अभियुक्त धीरज सिंह सामन्त एवं अभियुक्ता तुलसी देवी जो धीरज की सगी बुआ है इस गैंग के सदस्य हैं। भाकसु कामी उर्फ बागसुर कामी नेपाल से चरस लेकर आता है जिसे धीरज अपनी बुआ तुलसी के साथ मिलकर दिल्ली , हरियाणा , हरिद्वार , मुजफ्फरनगर , शामली व एनसीआर के लोगों को फुटकर में बेच कर मुनाफा कमाते हैं। अभियुक्ता तुलसी के विरूद्ध थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर में मुकदमा दर्ज है जिसमें यह वांछित चल रही थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. भाकसु कामी उर्फ बागसुर कामी पुत्र सम्पति कामी निवासी गाँव थवांग वार्ड नं0 3 जिला रोलपा नेपाल हाल पता मकान नं0 38 सी ग्राउन्ड फ्लोर खसरा नं0 167 नाहरपुर विलेज रोहणी सेक्टर 7 नोर्थ वेस्ट दिल्ली ।
2. धीरज सिंह सामन्त पुत्र गुमान सिंह सामन्त निवासी गाँव छाना गलाती थाना धारचूला जनपद नैनीताल उत्तराखण्ड।
3. तुलसी देवी उर्फ मोटी पत्नी दान सिंह निवासी इन्द्रा नगर 1 गाँव बिन्दु खत्ता तहसील लालकुआँ गागा नैनीताल उत्तराखण्ड।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 40/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बीटा-2 ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 323/2024 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 05 किलो 500 ग्राम अवैध चरस
2. 03 एन्ड्राइड मोबाइल फोन अलग अलग कम्पनियों के
3. 01 आधार कार्ड
4. 01 नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र
5. 2000 रुपये नकद